

**ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016**

भाग—एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र०	नाम	अवधि
1	श्रीमति मीना ठाकुर	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री बाबू राम शर्मा	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :-

क्र०	नाम	अवधि
1	श्री कश्मीरी लाल	01.04.2013 से 03.10.2013
2	श्री सुरेश कुमार	04.10.2013 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31-03-2016 के अन्त शेष में अन्तर	0.52
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	विवरण पैरे में दिया गया है।
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	2.09
4	9	तीन वर्षों से प्राप्त राजस्व की वसूली न करना	0.11
5	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	16.56
6	11	संदिग्ध व्यय	2.98
7	12	निविदाओं के बिना किया गया क्रय	0.71
8	16	निर्माण कार्यों के बिलों में अनियमितताएं	—

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 06/07/2016 से 14/07/2016 तक ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 12/2013, 01/2015, 09/2015 व 04/2013, 10/2014, 09/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/-बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. शिमला-171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना सं. अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015-16/-144 दिनांक 13/07/2016 द्वारा ग्राम पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

- 4.1 स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	79073	18012	97085	24362	72723
2014-15	72723	10424	83147	30619	52528
2015-16	52528	18169	70697	30296	40401

- 4.2 अनुदान:- ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 तथा 2 में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	1948880	1565136	3514016	2121195	1392821
2014-15	1392821	2152487	3545308	2006407	1538901
2015-16	1538901	3655591	5194492	3538062	1656430

5 बैंक खातों के सन्दर्भ में पाई गई त्रुटियां:-
5.1 रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में अन्तर बारे :-

अंकक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹51,940/- का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में है।

क्र॰	खाता			अन्त शेष	
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसार:-				
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' – पैरा 4(1)			40401.00	
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' – पैरा 4(2)			1656430.00	
कुल योग (क):				<u>1696831.00</u>	
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष :-					
	विवरण	बैंक	खाता		
1	सामान्य निधि – खाता 'क'	हि.प्र.रा.स. बैंक नम्होल	2316	30446.00	
2	अनुदान खाता – खाता 'ख'	हि.प्र.रा.स. बैंक नम्होल	0006	1430856.00	
3	मनरेगा	हि.प्र.रा.स. बैंक नम्होल	3174	116.00	
4	हरियाली परियोजना – अनुदान	हि.प्र.रा.स. बैंक नम्होल	2603	26072.00	
5	हरियाली परियोजना– लाभार्थी अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक नम्होल	5124	121372.00	
6	मध्य हिमालय जलागम परियोजना – अनुदान	हि.प्र.रा.स. बैंक नम्होल	2802	40206.00	
7	मध्य हिमालय जलागम परियोजना – लाभार्थी अंशदान	हि.प्र.रा.स. बैंक नम्होल	2843	64947.00	
8	स्वजल धारा	भारतीय स्टेट बैंक नम्होल	6547	34756.00	
कुल योग (ख):				<u>1748771.00</u>	
रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख):				<u>51940.00</u>	

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। इस अन्तर का दूसरा मुख्य कारण सीमेन्ट को रोकड़ बही से जारी करना भी हो सकता है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना:—

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखों की नमूना जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम-विरुद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैं:—

(क) नियम विरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:— हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मनरेगा, हरियाली परियोजना तथा मध्य हिमालय जलागम परियोजना के लिए चार अलग-अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन चार रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारे:— लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियां पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारे:— हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग चार रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त

सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरुद्ध आठ बैंक बचत खातों का खोला जाना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित आठ बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन छः अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता 'ख' के ₹2,08,838/-के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹2,08,838/-खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता सं०	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
0006	14282	14247	15767	16193	20652	30381	111522
3174	1284	1940	427	183	18	18	3870
2603	12735	9444	7711	6077	3390	1573	40930
5124	1848	2255	2263	2269	2366	2396	13397
2802	853	1266	3599	4157	3621	1526	15022
2843	845	4180	7117	5656	1202	1224	20224
6547	613	635	637	639	666	683	3873
कुल योग	32460	33967	37521	35174	31915	37801	208838

6.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करना:—

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6.5 रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करना:—

पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम. ए. एस. (मैटीरियल ऐंट साइट) रजिस्टर/सीमेंट भण्डारण रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियां:—

7.1 नियमानुसार निवेश न करना:—

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, जिससे ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। परन्तु ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप-1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत गृहकर राजस्व ₹10,530/-का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

सचिव ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के गृहकर राजस्व ₹10,530/-की वसूली शेष थी।

गृहकर : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या: 2013-14 में 374, 2014-15 में 385 तथा 2015-16 में 394 परिवारों के लिए ₹10/-प्रति परिवार की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	0.00	3740.00	3740.00	0.00	3740.00
2014-15	3740.00	3850.00	7590.00	250.00	7340.0
2015-16	7340.00	3940.00	11280.00	750.00	10530.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान राशि ₹16.56 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा परिशिष्ट-1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹16,56,430/-उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र

की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 बिना बिल वाउचरों के किया गया ₹2.98 लाख का संदिग्ध व्यय:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब-वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹2,97,763/-के व्यय के विरुद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता के उचित आपूर्ति बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण परिशिष्ट '3' में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तिकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹70,942/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹70,942/-के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	निधि	दिनांक	रो. ब.	क्रय की गई सामग्री	राशि
1	मध्य हिमालय जलागम परियोजना	25.6.13	8	सीमेन्ट	10000.00
2	मध्य हिमालय जलागम परियोजना	30.1.14	9	सीमेन्ट	8560.00
3	मध्य हिमालय जलागम परियोजना	27.1.15	013	सीमेन्ट	16261.00
4	मध्य हिमालय जलागम परियोजना	27.1.15	013	सीमेन्ट	16121.00
5	मध्य हिमालय जलागम परियोजना	6.4.15	015	सरिया	20000.00
				कुल योग:-	<u>70942.00</u>

13 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा अधिकतर बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 दिनांक रहित रसीदें जारी करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अधिकतर प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरुद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जाना:-

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख को दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मस्ट्रोल रजिस्टर की जांच में पाया गया कि अभी तक वर्ष 2013-14 के लिए भी रजिस्टर में प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान/सचिव से करवाया गया है। इसी प्रकार रोजगार कार्ड भी अधूरे पड़े हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार का अद्यतन नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है अतः इस प्रकरण को

उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन करके अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 निर्माण कार्यों के अभिलेख तथा लेखांकन में त्रुटियां:-

पंचायत द्वारा करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 में प्रतिपादित किए गए अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। जांच के दौरान इस अभिलेख में निम्न प्रकार की त्रुटियां पाई गई हैं:-

16.1 कार्य निष्पादन के लिए अनुभागी समिति का गठन न किया जाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो पंचायत के साथ उस कार्य विशेष के निष्पादन हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षर करेगी जिसमें कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा नियमाधीन निर्धारित शर्तों का विवरण होगा। परन्तु निर्माण कार्यों के बिलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः इस बारे में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

16.2 किए गए कार्य का प्रमाणन न करने बारे:-

विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों के बिलों की जांच में पाया गया कि करवाए गए कार्य का सम्बन्धित बिल/वाउचरों को किसी प्राधिकृत तकनीकी कर्मचारी द्वारा प्रमाणन नहीं किया गया है जो कि नियमविरुद्ध होने के अतिरिक्त किए गए भुगतान को भी संदिग्ध बनाता है। उदाहरण के लिए 'गांव सोहरी से गांव पंजैल खुर्द तक किए गए सड़क निर्माण' के कार्य की जांच में पाया गया कि 'मै. भड़ोल अर्थमूर्वर्ज ब्रह्मपुखर' से निविदाओं के आधार पर जे. सी. बी मशीन द्वारा खुदाई का कार्य करवाया गया था जिसके लिए उनके द्वारा दिए गए बिल संख्या 401 दिनांक 13.10.2014 के अनुसार मशीन द्वारा 290 घण्टे खुदाई के लिए ₹700/-प्रतिघण्टा की दर से ₹203000/-की मांग की थी। परन्तु इस बिल पर किसी भी तकनीकी कर्मचारी/पंचायत पदाधिकारी द्वारा जिसकी देखरेख में यह कार्य सम्पन्न हुआ है, मशीन द्वारा किए गए कार्य की प्रमात्रा को प्रमाणित नहीं किया गया है जो कि उपरोक्त नियमों में दिए गए प्रावधानों के विरुद्ध है। अतः इस बारे में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

16.3 कार्य समापन की दिनांक न दर्ज करने बारे:-

निर्माण कार्यों के बिलों की जांच में यह भी पाया गया कि इनके समापन की दिनांक को भी कहीं दर्ज नहीं किया जाता है जो कि प्रावधित नियमों के विरुद्ध है। अतः इस बारे में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

16.4 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

17 भंडारण पुस्तकों (Stock/Store Registers) के रख-रखाव में त्रुटियां:-

17.1 भण्डारण पुस्तकों का रख रखाव उचित तरीके से न करना:-

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरूप स्थाई अथवा अस्थायी (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग-अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द में खरीदे गए सामान का इन्द्राज करते समय उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग-अलग स्थाई व अस्थायी भण्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग-अलग पृष्ठ आबंटित करके प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्योरा हमेशा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त अब तक भण्डार पुस्तकों में दर्ज न किए गए सामान का इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

17.2 क्रय की गई निर्माण सामग्री का भण्डारण पुस्तकों में लेखांकन न किया जाना:-

नियमानुसार सरकारी धन से क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए क्रय की जाने वाली निर्माण सामग्री को एम. ए. एस. (मैटीरियल ऐंट साइट) रजिस्टर/निर्माण सामग्री भण्डारण रजिस्टर में लेखांकित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत अभिलेख की चयनित माह के लिए जांच में पाया गया कि यहां पर विभिन्न योजनाओं में क्रय की गई निर्माण सामग्री का लेखांकन किसी भी प्रकार के एम. ए. एस. (मैटीरियल ऐंट साइट) रजिस्टर/निर्माण सामग्री भण्डारण रजिस्टर में नहीं किया जा रहा है जो कि एक अति गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17.3 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव न करना:—

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	—	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	—	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (a – b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 विविध अनियमितताएँ:—

19.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

19.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

19.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि

यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 20 **लघु आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।
- 21 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख रखाव में हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेख, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेय रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमयनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता /—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12) 6/2016-खण्ड-1-5379-5382 दिनांक: 07.10.2016
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत पंजैल खुर्द, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

हस्ता /—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

